



पत्रांक : वाई0ई0ए0 / सम्पत्ति / 2017 | 1281

दिनांक- 25/09/2017

कार्यालय ज्ञाप


मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 25.09.2017 के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 61वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-61/15, दिनांक 04.09.2017 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की आवासीय भवन योजना बी0एच0एस0-04/2014 एवं बी0एच0एस0-05/2015 में आवंटित बहुमंजिले भवनों के आवंटियों को निम्न सुविधा अनुमन्य की जाती है:-

- अगर आवंटी चाहे तो प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्मित भवनों की योजना में रिक्त हुए भवनों में शिफ्ट होने का विकल्प चुन सकते हैं। इस विकल्प को प्राप्त करने हेतु आवंटी द्वारा पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर प्राधिकरण कार्यालय में पत्र के माध्यम से सहमति देनी होगी।

अथवा


6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भवन को समर्पण करके अपनी जमा धनराशि (Penal Interest के अलावा) वापस ले सकते हैं।

उक्त आदेश दिनांक 04.09.2017 से प्रभावी होंगे।


(संत कुमार)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. वैयक्तिक सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस0के0/एम) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबन्धक(वित्त/नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (परियोजना)यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
6. सलाहकार (आर.एम.एस./वी.के.एस/एस.के./जे./एम.एस./आर.के.) वाई.ई.ए।
7. समस्त योजना प्रभारी/प्रबन्धक/वरि0 प्रबन्धक/नायब तहसीलदार (सम्पत्ति)
8. गार्ड फाईल।


विशेष कार्याधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, जिला-गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 - 0120 - 2395201.. फ़ैक्स न0 - 0120 - 2395150